

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-42/2019-20

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

खुदीराम प्रमाणिक बनाम मीरा महतो वगैरह

07/7/2020

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

खुदीराम प्रमाणिक, पिता-स्व० गोवरधन हजाम, ग्राम-गोसाईडीह, पो०-काँची, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-हजाम, पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.मीरा महतो, पति-वीरेन्द्र कुमार महतो, ग्राम-चैनपुर पो०-राहे, अंचल-राहे, थाना-राहे, जिला-राँची, 2.प्रिया देवी पति-शिवदयाल महतो, ग्राम-नीचे टोली वंसिया, पो०-वंसिया, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-20/06/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.मीरा महतो पति-वीरेन्द्र कुमार महतो, ग्राम-चैनपुर, पो०-राहे, अंचल-राहे, थाना-राहे, जिला-राँची, 2. प्रिया देवी पति-शिवदयाल महतो, ग्राम-नीचे टोली वंसिया, पो०-वंसिया, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोंसाईडीह	बुण्डू	13	02	311	42 डी० चौहददी उत्तर-ग्रामीण कच्ची रास्ता दक्षिण-नन्दों अहीर पूरब-लीलू पुरान पश्चिम-निताई मछुवा

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-322 दिनांक-07/09/2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पानेवाला भोला दास गोंसाई है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध क्रेता विक्रेता का है, तथा विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्र है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम डोम हजाम वो राधागोंविद हजाम वो गोवर्धन हजाम है, तथा रैयत के पास 52 डी० जमीन है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 12-13 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है, तथा खरिदगी दस्तावेज के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान क अनुसार प्रस्तावित जमीन वकास्त मालिक नाम लगान पानेवाला भोला दास गोसाई, किस्म है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात बिक्रेता के पास 2.22 डी० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने एवं ऋण चूकता हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता खुदीराम प्रमाणिक, पिता-स्व० गोवर्धन हजाम, ग्राम-गोसाईडीह, पो०-काँची, थाना-बुण्डू, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-हजाम, पेशा-कृषि, को क्रेता 1.मीरा महतो पति-वीरेन्द्र महतो, ग्राम-चैनपुर, पो०-राहे, अंचल-राहे, जिला-राँची, 2.प्रिया देवी पति-शिवदयाल महतो, ग्राम-नीचे टोली वंसिया, पो०-वंसिया, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/07/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।



अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता खुदीराम प्रमाणिक, पिता-स्व० गोवरधन हजाम, ग्राम-गोसाईंडीह, पो०-काँची, थाना-बुण्डू, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-हजाम, पेशा-कृषि, को क्रेता 1.मीरा महतो पति-वीरेन्द्र महतो, ग्राम-चैनपुर, पो०-राहे, अंचल-राहे, जिला-राँची, 2.प्रिया देवी पति-शिवदयाल महतो, ग्राम-नीचे टोली वंसिया, पो०-वंसिया, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोंसाईंडीह	बुण्डू/13	02	311	42 डी० चौहददी उत्तर-ग्रामिण कच्ची रास्ता दक्षिण-नन्दों अहीर पूरब-लीलू पुरान पश्चिम-निताई मछुवा

लेखापित एवं संशोधित।

४.०१/०७  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

४.०१/०७  
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।